

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-564/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(78)-2012
दिनांक: 30 जून, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 01 जुलाई, 2012 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 10 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
11	तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका)	नि० अथवा आ०	50%
12	सिगरेट/सिगार	नि० अथवा आ०	50%

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।